292

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः 1637/XVII-3/2015-07(37)/2008

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–3 **देहरादून : दिनांक 03 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2015**

विषयः एस0पी0क्यू0ई0एम0 योजना वर्ष 2014–15 से आच्छादित 74 मदरसों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता की द्वितीय/अन्तिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–776, दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–275/XVII-3/2015-07(37)2008, दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि ₹ 138.15 लाख के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015–16 में मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.8-39/2014-EE-19, दिनांक 29.09.2015 द्वारा एस0पी0क्यू0ई0एम0 योजना से आच्छादित 74 मदरसों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में **₹ 138.14 लाख (₹ एक करोड अड़तीस लाख चौदह हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, अन्य संगत नियमों के आलोक में नियमानुसार ही किया जायेगा। मदरसों को धनराशि भुगतान करने से पूर्व शिक्षकों की वास्तविक संख्या, क्रय की गयी पुस्तकों, अनुरक्षण कार्यो तथा कराये गये प्रशिक्षकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा भौतिक पुष्टि अवश्य कर ली जाएगी।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना है।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय–00–अरबी–फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण–05–अरबी–फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (100 % केन्द्रपोषित) के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जाएगा।
9. उक्त स्वीकृत रू0 138.14 लाख (रू0 एक करोड़ अडतीस लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0 डी0 संख्या–S1511150227, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्याः 1637 (1)/XVII-3/15-07(37)/2008 : तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उपरजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल/उधमसिंहनगर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0एस0 बोरा)
उप सचिव।